अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/2215 RTAC सुगनी देवी वि. जमनी (गु.) रणजीत सिंह

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/173 R-1/2, 1/3, 3, 4 व 5 श्री शिवप्रकाश चौहान, श्री अजीत सिंह 1, 2, 4 व 5	

18/4/23	सुगनी देवी बनाम जमनी (गु)रणजीत सिंह (173/2023) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि दिनांक 02.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त प्रार्थीया कृषि कार्य में व्यस्त रहने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी तत्पश्चात कृषि कार्य से मुक्त होने के पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसके अधिवक्ता ने बताया कि उनके धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का तो दिनांक 02.02.2021 को हो निस्तारण हो चुका है तत्पश्चात सम्पूर्ण राज्य में कोरोना महामारी की वजह से लोक डाउन लग गया था जिससे सभी न्यायालय बंद हो गये थे इसलिए प्रार्थीगण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकें व लोक डाउन समाप्त होने के पश्चात तुरन्त अपने अधीवक्ता से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र नकल प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया एवं जैसे ही नकल प्राप्त हुई उपरोक्त अपील अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुणा पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया क तहत् किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में अनिवार्य हैं। मान्नीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादित विधिक सिद्धान्तानुसार न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के स्वयं द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था इसलिए उनको प्रार्थना पत्र के खारिज होने की सूचना थी फिर भी अपील जानबूझ कर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक होने एवं सदभाविक होने से तथा न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 नियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अपील का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने इस महत्वूपर्ण बिन्दु की	राज. प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

173/2021/225 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2021/173

श्री बिरदकरण चौधरी श्री अजीत सिंह

पेशी

ओर से ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी गुतनाजा वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीद की गई है एवं बरवक्त खरीद से लेकर आज दिनांक तक वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक लाईन में अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली परिपूर्ण नहीं थी दिनांक 05.01.2021 को फर्द अहकाम से पूर्णतया स्पष्ट है कि पत्रावली वासते जवाब काउन्टर क्लेम में नियत थी इसके बावजूद भी बिना वादीगण का काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किए बगैर सरसरी तौर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना त्रप को अपने नोन स्पीकिंग आदेश से खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रेवेन्यू कोर्टस मैन्यूअल के तहत् फर्द अहकाम पर पारित आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर बिना किसी दस्तावेज का अवलोकन किये एवं धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के तीनो बिन्दु यथा–प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन किये बिना पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 को निरसत किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टस को पाबदं किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन, बेचान, मुन्तकिल नहीं करें एवं अपीलांटस के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया चौसाला खसरा नम्बर 2341 रकबा 06–08–00 बीघा व खसरा नम्बर 2344 रकबा 2–17–10 उसका सम्पूर्ण हक हिस्सा बैचान दिनांक 26.05.1982 को होना वताया उक्त आराजी बैचानकर्ता के नाम अंकित नहीं थी तथा अप्रार्थी संख्या 03, 04 को अपने पैतृक हक व हिस्सा, अधिकार भारतीय हिन्दू उत्ताधिकारी अधिनियम 1956 में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के तहत् जरिये विरासत प्राप्त होकर निहित हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 3, 04 ने उक्त विविध अधिकारों के अनुरूप दिनांक 12.04.2004 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 को जरिये पंजियन बैनामा उपपंजियक, पीसांगन के यहॉ निष्पादित करवा कर कब्जा सौंप दिया तथा विधिवत नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 20.07.2004 को भरकर इन्द्राज वर्किंग जमावंदी में होकर आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 2 के कब्जा– काश्त में दखंलदाजी एवं मदाखलत प्रार्थी उत्पन्न ना करने से पाबंद फरमाया बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे,क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 04 के दादा लादू से जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र चौसाला खसरा नम्बर 2341 रकबा 06–08–00 बीघा व खसरा नम्बर 2344 रकबा 02–17–10 बीघा का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 26.05.1982 को खरीद किया है किन्तु उक्त विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण तस्दीक

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/225RTA मु. ... V/s जन्नी (पु.) ...

नम्बर व तारीख अहकाम व पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/173 R-1/2, 1/3, 3,4 ...	
	श्री शिवप्रकाश ... श्री ... 1, 2, 4 ...	

नहीं किया गया था तत्पश्चात लादू की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 25.04.2000 को अप्रार्थी संख्या 03 स्वयं व 04 के पिता के नाम तस्दीक किया गया । अप्रार्थी संख्या 03, 04 ने उक्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 01, 02 को दिनांक 12.04.2004 को बेचान कर दिया। तत्पश्चात उक्त आराजी को उन्होने अप्रार्थी संख्या 01, 02 को दिनांक 12.04.2004 को बेचान कर दिया, जिसका नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 20.07.2004 को तस्दीक किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रत आराजीयात बाबत् अपने-अपने हक-हिस्से बाबत् अधिकार बता रहे हैं। वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित भूमि का रहन, बय व हस्तातंरण किया जाता है तो इससे अनावश्यक कानूनी पैचिदगियॉ उत्पन्न होगी, जिसको रोकना न्यायालय का उत्तरदायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रावधान इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि इसके जरिये विवादग्रस्त सम्पत्ति का अंतिम रूप से अधिकार तय होने तक सुरक्षित व यथावत् रख सकें। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् हक व अधिकार का अंतिम निस्तारण तो बाद साक्ष्य व सुनवाई के वाद में निर्णित होगा, इसलिए ताफैसला वाद विवादित आराजी की उभयपक्ष राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायहित में उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 63/2020 मे पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी वर्किंग खसरा नम्बर 2622 रकबा 2-02-00 के आधार खसरा नम्बर 2962 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 2623 रकबा 01-02-00 के आधार खसरा नम्बर 2961 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 2624 रकबा 01-02-00 के आधार खसरा नम्बर 2958 रकबा 0.18है., खसरा नम्बर 2625 रकबा 02-02-00 के आधार खसरा नम्बर 2957 रकबा 0.34 है., वर्किंग खसरा नम्बर 2603 रकबा 1-00-00 के आधार खसरा .नम्बर 2964 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर, 2603 रकबा 1-00-00 के आधार खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2604 रकबा 01-17-10 के आधार खसरा नम्बर 2969 रकबा 0.31 है.वाकै ग्राम बिडकचियावास तहसील पीसांगन की ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner